

निक इस तरह की घटनाएं न हों।
पटियाली कोतवाली प्रभारी लोकेश
साठी ने बताया कि पति द्वारा शिकायत
की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस
जाँच के लिए प्रयोगशाला
भेजा जाएगा।

प्रमुख सचिव कृषि ने धान की खेती में कीटनाशकों पर रोक संबंधी पत्र किया जारी

प्रमुख सचिव कृषि ने धान की खेती में कीटनाशकों पर रोक संबंधी पत्र किया जारी

प्रोपिकोनाजोल
थारोमेथोक्साम
प्रोफेनोफॉस
इमिडाक्लोप्रिड
कार्बेन्डाजिम
कार्बोपेथुरान

मुरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, जियाबाद, हापुड, हाथरस, मथुरा, नरपुरी, मेरठ आदि जिलों में समीचीन चावल फसल में 11 कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि धान की फसल में ये कीटनाशक डालने पर धान पर प्रभाव खाई देता है और गुणवत्ता प्रभावित होती है।

मथुरा
दिनांक: 21/08/2025

शहर 02 बजे से दिनांक 28.08.2025 में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित वेबसाइट <http://etender.up.nic.in>

श शुल्क	धरोहर राशि
18 प्रतिशत	आरूएफपी के अनुसार

Last Date
28-08-2025 05-00 pm
28-08-2025 05-00 pm

पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार न की सूचना ई-टेंडर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> सहायक नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

पेस्टमार्टम कराया है तकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। सीएचसी प्रभारी पटियाली ने वैक्सीन की बोतल को सील कर दिया है और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

गांव ताजपुर तिरगा में समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली की एनएम नेहा अपनी टीम के साथ प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का वैक्सीन (टीकाकरण) करने गई थीं। दोपहर में जनक सिंह की पत्नी ने अपनी दो माह की बच्ची अनन्या को भी टीका लगवाने के लिए विद्यालय पहुंची। एनएम ने बच्ची का टीकाकरण किया और उसके बाद मां-बेटी को आधा घंटे के लिए निगरानी में रखा। जब सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, तो उन्हें घर भेज दिया गया। रात में अनन्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई और जब तक परिवार कुछ समझ पाता, तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में हड़कंप मच गया। सीएचसी प्रभारी डा. शिवाश्री ने बताया कि बुधवार को गांव ताजपुर तिरगा में एनएम नेहा टीकाकरण कर रही थीं। जिस बोतल से अनन्या का टीकाकरण किया गया था, उससे चार अन्य बच्चों का भी टीकाकरण किया गया था। जांच की जा रही है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी न्यायिक, मांठ जनपद-मथुरा

वाद सं. 2176/2025 यी 202501500402176 गोविन्द शरण बनाराम रामजीत आदि धारा-116 व.प्र. राजस्व संहिता 2006 मौज-नीमगांव, तह. मांठ।

साधारण सूचना- आदेश अदोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपरोक्त वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 28.08.2025 नियत है। अतः निम्नलिखित को सूचित किया जाता है कि आप नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने किसी प्लीडर के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। नियत तिथि पर उपस्थित न आने की स्थिति में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 1. कौशल किशोर पुत्र श्री सीयाराम, निवासी ग्राम नीमगांव, तहसील मांठ, जिला मथुरा।

(राधेन्द्र शर्मा)
उप जिलाधिकारी, न्यायिक मांठ

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद पर दिनांक 02.09.2025 को 42 वाहन मुकदमाती व 19 वाहन एमबी एक्ट कुल 61 वाहन (दोपहिया) की नीलामी मा. न्यायालय के आदेशानुसार थाना शिकोहाबाद परिसर में प्रातः 09:00 बजे से किया जाना प्रस्तावित है। अतः नीलामी की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले सभी इच्छुक उम्मीदवार समय से थाना शिकोहाबाद पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रभारी निरीक्षक थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद

छोटा नारा है। हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास। हम राष्ट्रभक्त के साथ हैं। यह वही राह है जिस पर

में बैठे अंतर्राष्ट्रीय के नौअरी भोजपुरी के शेर सिंह ने कल्याण सिंह के क्षेत्र के होने पर गर्व जताया।



आगरा विकास प्राधिकरण जयपुर हाऊस, आगरा।

Request for Proposal

पत्रांक : 48/डी/ई.ई.(ई)/25

दिनांक : 21/08/2025

क्र. सं.	कार्य का नाम	बिड प्रारम्भ की तिथि	बिड की अन्तिम तिथि
1	Appointment of Monitoring and Operational Efficiency Consultant.	22.08.2025	04.09.2025 (अप्रान्ह 03:00 बजे तक)

- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए उक्त प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- विस्तृत विवरण एवं अन्य नियम/शर्तें वेबसाइट: <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड की सकती है।
- आर.एफ.पी. के सम्बन्ध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में आगरा विकास प्राधिकरण, मो0नं0 नं0-9927068711 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

अधीक्षण अभियन्ता
दिनांक 22/08/25 (दि./यां.)



उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना संख्या: ELG-16-A08-2025-26

दिनांक: 18.08.2025

निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य), आगरा द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु केवल ऑन लाईन (E-Tendering) द्वारा खुली निविदा आमन्त्रित की जाती है।

टेन्डर संख्या: ELG-16-A08-2025-26

कार्य का नाम लोकेशन सहित एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि: आगरा मंडल में स्थापित लिफ्टों के लिए मैनुअल बचाव उपकरण का प्रावधान।, कार्य पूर्ण करने की अवधि 08 माह

कार्य की अनुमानित लागत: Rs.4354200.00

पूरी जानकारी एवं टेन्डर में भाग लेने हेतु Indian Railways website www.ireps.gov.in देखें। टेंडर्स केवल वेब पोर्टल Indian Railways website www.ireps.gov.in पर 15:00 बजे तक दिनांक 15.09.2025 तक टेन्डर डाल सकते हैं।

1491/25 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPONCR



उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. 2025-अगस्त-03

दिनांक: 20.08.2025

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबन्धक/इंजीनियरिंग/उत्तर मध्य रेल आगरा द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये "खुली निविदा" ई-टेंडरिंग केवल ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.: 2025-अगस्त-03-01 अनुमानित लागत : ₹ 6,18,83,620.42

कार्य का विवरण: आगरा-धौलपुर खंड में रेलवे पी क्यू आर एस से टी एस आर (पी)-41.082 ट्रैक किमी का कार्य।

निविदा को प्रस्तुत करने एवं निविदा के बारे में पूरी जानकारी के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। निविदाएं केवल वेब पोर्टल www.ireps.gov.in के माध्यम से दिनांक 10.09.2025 को 15:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।

1505/25 (MG)

North central railways @ CPONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक: 556/GEN/GM/MTR/2025-26

दिनांक: 21.08.2025

विज्ञप्ति

श्री कैलाश पुत्र स्व0 छगन लाल, पाईप लाईन बेलदार, निवासी -227, शंकर गली, भरतपुर रोड, मथुरा, कर्मचारी जलकल विभाग, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, जो बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार दिनांक 02.10.2023 से अनुपस्थित चल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कैलाश, पाईप लाईन बेलदार किसी अन्य संस्था में सेवारत है या अन्य किसी रोजगार में संलग्न है अथवा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, में कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है; जबकि प्रथम नोटिस पत्र सं0-1914/GEN/GM/MTR/2023-24 दिनांक 17.11.2023, द्वितीय नोटिस पत्र सं0-62/EE(JAL)/MTR/2023-24 दिनांक 27.12.2023, तृतीय नोटिस पत्र सं0-42/EE(JAL)/MTR/2024-25 दिनांक 23.04.2024, चतुर्थ नोटिस पत्र सं0-376/EE(JAL)/MTR/2025-26 दिनांक 08.08.2025 द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने का समय दिये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः श्री कैलाश पुत्र स्व0 छगन लाल, पाईप लाईन बेलदार को उक्त अवधि में अनुपस्थित काल का तदसंगत कारणों सहित 15 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त अवधि में उपस्थित न होने पर निलम्बन हेतु संस्तुति कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व श्री कैलाश का होगा।

महाप्रबन्धक (जल)
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 48/डी/ई/सी/25

दिनांक : 21/08/25

Request for Proposal

क्र. सं.	कार्य का नाम	बिड प्रारम्भ की तिथि	बिड की अन्तिम तिथि
1	Appointment of Monitoring and Operational Efficiency Consultant.	22.08.2025	04.09.2025 (अपरान्ह 03:00 बजे तक)

- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए उक्त प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- विस्तृत विवरण एवं अन्य नियम/शर्तें वेबसाइट : <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड की सकती है।
- आर.एफ.पी के सम्बन्ध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में आगरा विकास प्राधिकरण, मो0नं0 नं0-9927068711 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

21.08.25
अधीक्षण अभियन्ता
(वि./यां.)

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

2. सचिव महोदया को सूचनार्थ।

3. वित्त नियन्त्रक महोदया को सूचनार्थ।

4. प्रभारी आई.टी. सेल/जनसम्पर्क अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे नियमानुसार वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये।

5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

21.08.25
अधीक्षण अभियन्ता
(वि./यां.)